

निवेधना बढ़ाई जाती है (H) 1711 क व ल जा र/अस्थार

22-6-23

पत्रावली कंप... शुभमपे... डे... को पेश हुई।  
आगामी दिनांक 10-8-23..... को पेश हो।  
पूर्व का धर्मांतरण बहाल रहेगा।

10/8/23

पत्रावली पेश हुई, वकील प्रार्थना उपस्थित। सूत्र  
वाद पत्र सं. 39/22 से निर्णय हो जाने से यह  
प्रकरण इसी स्तर पर ड्रॉप किया जाता है। दिनांक  
20.7.22 को जारी अस्थाई निवेधना श्वरीज की  
जाती है। पत्रावली फंसल शुमार होकर अम्बर से  
कम हो।

  
उपखण्ड अधिकारी  
मांडल जिला भीलवाड़ा